

संपादकीय

गलती न दोहराएं

भुवनेश्वर के केआईआईटी में कम समय में दूसरी नेपाली छात्रा की मौत से विश्वविद्यालय की छवि और भारत के विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, पर पिछली लापरवाही से सबक लेते हुए गहन जांच जरूरी है।



भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ इंस्ट्रुट्यूट टेक्नॉलजी (केआईआईटी) में ढाई महीने के भीतर एक और नेपाली छात्रा की मौत होना केवल इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छवि पर धक्का नहीं है-इससे भारत के विदेशी स्टूडेंट्स को आकर्षित करने के प्रयासों पर भी चोट पहुंची है। ओडिशा पुलिस ने मामला आत्महत्या का बताया है, लेकिन फिर भी केस की गहराई से छानबीन होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बार उन गलतियों से बचना होगा, जो फरवरी में हुई थीं।

कूटनीतिक संकट की वजह: 18 साल की छात्रा बीटके कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसका शव हॉटेल रूम में मिला। इससे पहले 16 फरवरी को बीटके थर्ड ईयर की एक नेपाली स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें एक छात्र पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। लेकिन असली दिक्कत हुई विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से और इसने भारत-नेपाल के बीच कूटनीतिक संकट की स्थिति ला दी थी। तब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक को छात्रा के लिए न्याय की मांग करनी पड़ी थी और इसके बाद कुछ सख्त कदम उठाए गए थे। इस बार ओडिशा सरकार और यूनिवर्सिटी, दोनों पर जिम्मेदारी है कि वैसी नौबत न आए।

नकारात्मक असर से बचाव:

शुरु में ही यह तथ्य सामने आ गया था कि पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आनुषंगिक संगठन का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना हाथ होने से मना कर रहा है।

भारत ने पाकिस्तान को पहुंचाया बड़ा आर्थिक आघात, जल्द ही निर्णायक कदम उठाएंगे!

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सावधानी से कदम आगे बढ़ा रहा है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने, हवाई मार्ग बंद करने जैसे फैसलों के बाद अब उसने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक आघात पहुंचेगा। पहलगाम हमले के बाद से देश में आक्रोश है। सरकार भी लगातार बैठकों और मंत्रणाओं के जरिए यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जल्दी ही वह पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक और कड़ा कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सार्वजनिक मंचों से भरोसा दिला चुके हैं कि वे दोषियों को कड़ी सजा दिला कर रहेंगे।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस हमले की गहन जांच कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगा लिया है कि आतंकियों ने किस प्रकार हमले को अंजाम दिया। इस हमले में शामिल स्थानीय आतंकियों के मकान ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान से आए आतंकियों को साथ लेकर हमले को अंजाम दिया गया। पता चला है कि ये वे आतंकी ही थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी। दौरा टलने के बाद उन लोगों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया।



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता तरीके से अपनी बात रख रहा है भारत

शुरू में ही यह तथ्य सामने आ गया था कि पहलगाम हमले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आनुषंगिक संगठन का हाथ था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह अपना हाथ होने से मना कर रहा है। पाकिस्तान की यह आदत रही है कि तमाम तथ्यों और दस्तावेजों के बावजूद उसने आज तक किसी भी घटना में अपनी

जमीन के इस्तेमाल होने की बात कबूल नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने पहलगाम हमले को लेकर भारत पुख्ता तरीके से बात रख रहा है।

वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आइएसआइ की देखरेख में पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों को प्रशिक्षित करने के शिविर चलाए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि पहलगाम हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की तैयारी भारत करेगा ही। यह देख अमेरिका और रूस

समेत कई देश भारत और पाकिस्तान से तनाव और न बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी शुरुआती जांच में पाकिस्तान के खिलाफ कई तथ्य इकट्ठा किए हैं। यह छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं और उन पर नकेल कसने की मांग बार-बार उठती रही है।

देशों के बीच आवाजादी भी बंद

अपने दुश्मन को केवल बंदूक से परास्त नहीं किया जा सकता। आज की स्थिति में उस पर आर्थिक वार सबसे बड़ा हमला होता है। इस अर्थ में भारत का पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान से सीधा कारोबार काफी कम हो गया था।

सड़क मार्ग से तिजारत बहुत समय से बंद है, हवाई सेवाएं भी रुकी हुई हैं, पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच वाघा और अटारी सीमा से होने वाली आवाजाही भी बंद हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच तीसरे मुल्क से कारोबार जारी था। भारत ने इस तरह के भी कारोबार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत बुरी है, उस पर भारत का ताजा निर्णय गहरी चोट करेगा।

दवा कंपनियों की बेलगाम मुनाफाखोरी का खामियाजा भुगतते हैं आम लोग

ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें कमजोर या गरीब तबकों के लोग सिर्फ इसलिए किसी गंभीर बीमारी का इलाज ठीक से नहीं करा पाते, क्योंकि उसके इलाज का खर्च वहन करना उनकी क्षमता से बाहर होता है। इलाज में सबसे अहम खर्च दवाओं पर होता है, जिनकी कीमतें कई बार सबकी पहुंच में नहीं होतीं। समूची स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में समय के साथ यह एक बड़ी समस्या बनती गई है। दवाओं की बेलगाम कीमतों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं।

सरकार ने इस मुश्किल से पार पाने के लिए वैकल्पिक उपाय के तौर पर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिशें की हैं, लेकिन अब भी इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखती। दवाओं की कीमतों और कंपनियों की अनैतिक विपणन के चलन पर काबू पाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गत शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सक अगर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें तो

दवा कंपनियों और चिकित्सकों के बीच रिश्ततखोरी से उपजी इस समस्या को रोका जा सकता है।

काफी कम हो सकती है जेनेरिक दवाओं की कीमत

यह छिपा नहीं है कि दवा कंपनियों के दबाव में डाक्टर मरीजों को आमतौर पर महंगी दवाएं लिखते हैं। जबकि उन्हीं रासायनिक मिश्रण से बनी और समान असर वाली उपयोगी जेनेरिक दवाओं की कीमत काफी

कम हो सकती है। दरअसल, मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाएं लिखने के एवज में दवा कंपनियां चिकित्सकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती रही हैं, उन्हें प्रकरांतर से रिश्तत भी देती हैं। इस तरह डाक्टरों पर यह दबाव बनता है कि वे मरीजों को किसी खास ब्रांड या कंपनी की ही दवा लेने की सलाह दें। चिकित्सा क्षेत्र में पलते इस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकारें अक्सर कुछ कदम उठाने की घोषणा करती हैं।

व्यापार

ईवी कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए मस्क, शेयर खरीदने की मची लूट, 130 रुपए पर आया भाव

कंपनी के शेयर आज एनएसई पर 7 प्रतिशत तक चढ़ गए और 130 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। इसका पिछला बंद प्राइस 121.84 रुपये है।



इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयर की कीमत में आज सोमवार को बंप तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर आज एनएसई पर 7व तक चढ़ गए और 130 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। इसका पिछला बंद प्राइस 121.84 रुपये है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने अपने

सर्वोटेक की रणनीतिक दृष्टि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी नियुक्ति भारत और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्रांति लाने के सर्वोटेक के महत्वाकांक्षी -विजन 2027- उद्देश्य के अनुरूप है। टेक, इंफ्रा और सतत विकास में अपने योगदान के लिए प्रशंसित एरोल मस्क, सर्वोटेक में नेतृत्व टीम को रणनीतिक सलाहकार सहायता प्रदान करेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में प्रभावशाली मीडिया संबंधों की देखरेख, निवेशक कनेक्शन का प्रबंधन और सरकारी सहभागिता पहलों को सुविधाजनक बनाना शामिल है। मस्क तुरंत ही अपना सलाहकार पद संभालेंगे, उनकी भारत की पहली यात्रा और अगले कुछ महीनों के लिए रणनीतिक बैठकों की योजना है।

कंपनी ने क्या कहा?: कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि, मस्क ग्लोबल विस्तार, स्थिरता में नेतृत्व और एआई द्वारा संचालित नवाचार के लिए

100 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक जीएचसीएल टेक्सटाइल्स के शेयरों की कीमतों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

100 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक जीएचसीएल टेक्सटाइल्स के शेयरों की कीमतों में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। कंपनी के तिमाही नतीजों से निवेशक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जीएचसीएल टेक्सटाइल्स ने सोमवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने बताया है कि सालाना आधार पर उनका नेट

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स शेयरों के हाल

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स शेयर एनएसई पर 124.50 प्रति शेयर पर खुला, शेयर ने 130 प्रति शेयर का इंट्राडे हाई और 121.58 प्रति शेयर का इंट्राडे लो छुआ। एंजेल वन में इकटिरी तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक राजेश भोसले के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों से शेयर की कीमतें साप्ताहिक 89 ईएमए के आसपास एक आधार बनाते हुए एक सीमा में कारोबार कर रही हैं, जबकि हाल ही में वॉल्यूम में तेजी आई है, गति केवल 135 से ऊपर के निरंतर ब्रेकआउट पर ही बढ़ेगी, जिसके बाद अपसाइड 145 तक बढ़ सकता है।

एक पर कितने रुपये का डिविडेंड दे रही हैं कंपनी?

जीएचसीएल टेक्सटाइल्स ने शेयर बाजारों को कहा है कि एक शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी यह डिविडेंड 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर के हिसाब से देगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। अगर एजीएम में डिविडेंड देने पर आमसहमति बनी तो योग्य निवेशकों को यह 21 जुलाई 2025 या उसके बाद भुगतान कर दिया जाएगा। यह दूसरी बार है जब कंपनी डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने इससे पहले 2024 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। तब एक शेयर पर कंपनी ने 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

जीएचसीएल ने बताया कि सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तिमाही नतीजों के साथ जीएचसीएल टेक्सटाइल्स ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

इस साल के अंत तक बिक जाएगा यह सरकारी बैंक!

अधिकारी ने दी जानकारी, क्या है योजना

आज सोमवार को बैंक के शेयर कारोबार के दौरान 1.21 प्रतिशत चढ़कर 80.84 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।



आईडीबीआई बैंक के प्राइवटाइजेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि इस साल के अंत तक इसका विनिवेश हो जाएगा। दरअसल, फाइनेंशियल सर्विसे डिपार्टमेंट के सचिव एम. नागराजू ने 5 मई को कहा कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की स्ट्रैटेजिक बिक्री 2025 में पूरी हो जाएगी। आज सोमवार को बैंक के शेयर कारोबार के दौरान 1.21त्र चढ़कर 80.84 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

नागराजू ने क्या कहा?

नागराजू ने फर्स्ट रेजिडेंशियल मॉर्गेंज बैंकड सिक्योरिटी के लिस्टिंग समारोह के दौरान कहा, +आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री इस कैलेंडर वर्ष में पूरी हो जाएगी।+ केंद्र और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) संयुक्त रूप से ऋणदाता में 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसमें सरकार के पास 30.48 प्रतिशत और बीमा फर्म के पास 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। जनवरी 2023 में, सरकार को बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए कई अभिरूचि प्रत्र

(ईओआई) प्राप्त हुए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाता वर्तमान में उचित परिश्रम में लगे हुए हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र ने 47,000 करोड़ रुपये का विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक लेनदेन अन्य विनिवेश योजनाओं के साथ-साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक होगा।

मार्च तिमाही के नतीजे

आईडीबीआई बैंक का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 2,051 करोड़ रुपये रहा। बैंक का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में शुद्ध लाभ 1,628 करोड़ रुपये रहा था। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33 प्रतिशत बढ़कर 7,515 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5,634 करोड़ रुपये रहा था। कुल आय बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 33,826 करोड़ रुपये हो गई, जो 2023-24 में 30,037 करोड़ रुपये थी।

लालबर्ग में सरकारी तालाबों की लूट!

जेसीबी माफिया बेखौफ, जिम्मेदार खामोश, ग्राम बल्हारपुर और धरपीवाड़ा में खुलेआम मुरम-रेत-मिट्टी का अवैध उत्खनन

लालबर्ग | राष्ट्रबाण

क्षेत्र में सरकारी तालाब अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। बल्हारपुर ग्राम में जेसीबी माफिया द्वारा दिनदहाड़े सरकारी तालाब से मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया, जिसे ट्रैक्टरों के माध्यम से बाहर पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में धरपीवाड़ा ग्राम पंचायत के तालाब में भी इन्हीं माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन करते देखा गया, वह भी बिना किसी डर और प्रशासन की पकड़ से बाहर। यह गंभीर विषय केवल अवैध उत्खनन का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और राजस्व क्षति का भी है। शासन ने हर गांव



छपते- छपते

खबर लिखने के दौरान जानकारी यह भी आई है कि ग्राम मिरगांव में भी शासकीय तालाब से मनरेगा कार्य के साथ-साथ जेसीबी मशीन का उपयोग कर सरपंच और सचिव द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिसकी जांच के लिए ग्रामीणों ने मांग की है। मुरलीखाम में भी देर शाम तक किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से खनन चलता रहा।



कार्रवाई करते नहीं देखा। दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन भी 'ये हमारे विभाग का मामला नहीं है' कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है।

प्रश्न यह उठता है कि जब इतनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं तैनात हैं तो फिर जेसीबी माफिया इतने बेखौफ कैसे? क्या यह सब मिलीभगत का हिस्सा है? या जिम्मेदार विभाग जानबूझकर आंख मूंदे हुए हैं?

जब तक जिला प्रशासन, तहसील और खनिज विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई नहीं करते, तब तक सरकारी संसाधनों की यह लूट ऐसे ही चलती रहेगी और शासन की योजनाएं कागजों में दम तोड़ती रहेगी।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने दिखावे की कार्यवाही और सेटिंग कर खोल दी दुकान

अवैध केमीकल गोदाम सील, बिना लाइसेंस 41 क्विंटल सल्फर 250 लीटर कीटनाशक मिला जिसमें की थी कार्यवाही

मंडला | राष्ट्रबाण

जिला प्रशासन लाख चाह ले कि भ्रष्टाचार को रोका जाए मगर उसको रोकने वाले अधिकारी ही लुट मचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विगत 05 दिन पहले का है। जिसमें कृषि विभाग मंडला और नैनपुर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से संचालित केमिकल इंडस्ट्री पर छापा मारा था।

जहां अवैध तरीके से कीटनाशक एवं फ फूदनाशक दवाइयां पाई गईं। इसके साथ अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें अनियमितता पाई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए रशियन केमिकल इंडस्ट्री को सील कर दिया गया है इसके साथ ही विक्रय को पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश अनुसार गठित दल द्वारा 1 मई को रशियन केमिकल इंडस्ट्रीज उमरिया विकासखण्ड नैनपुर जिला

दुकानदार का लाईसेंस रद्द करने के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा



हरियाणा से आकर नैनपुर में कर रहा है। व्यापार रशियन केमिकल इंडस्ट्रीज मुडलाना सोनीपथ, हरियाणा से प्रदेश एवं जिले के अंदर का व्यवसाय करने के लिए संयुक्त संचालक गुण नियंत्रण संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्र भोपाल से 2025 हेतु वैध अनुमति भी प्राप्त नहीं होना पाया गया किमियां पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 4 (1) एवं 1971 के नियम 10 (बी) का उल्लंघन करने पर देवेन्द्र कुमार

बारस्कर, इस्पेक्टर गुण नियंत्रण सह सहायक संचालक कृषि मण्डला एवं टीम द्वारा गोदाम सील करके विक्रय प्रतिबंध किया गया है। केएस नेताम संयुक्त संचालक कृषि एवं मधु अली, उप संचालक कृषि मण्डला को निरीक्षण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रशियन केमिकल इंडस्ट्रीज उमरिया विकासखण्ड नैनपुर के संचालक रामधन जाट का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर कड़ी कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

कृषि विस्तार अधिकारी नैनपुर जानकारी देने को तैयार नहीं

इस बात की कृषि विस्तार अधिकारी नैनपुर जानकारी मांग की गई तो अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। जिससे साफ होता है।

की अधिकारियों का संयुक्त दल ने सिर्फ दिखावे की कार्यवाही कर अपना हित साद लिया है। और शासन के सामने सिर्फ कागजों

में खाना पूर्ति की है। वहीं जिला के अधिकारी भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। जोकि बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।

मण्डला का निरीक्षण किया गया।

जिसमें पाया गया की गोदाम में 41 क्विंटल सल्फर 250 लीटर कीटनाशक एवं अन्य 1400 लीटर चिपको एवं अन्य फ

फूदनाशक दवाएं रखी हुई थी जिसके बिल, बिल्टी एवं चालान फर्म के पास नहीं पाए गए हैं। तो कृषि विभाग के संयुक्त दल ने कार्यवाही की और दुकान को

शील करने की खाना पूर्ति की और जानकारी के अनुसार नैनपुर कृषि विस्तार अधिकारी और संयुक्त दल के अधिकारियों ने दुकान सील करने का दिखवा

किया और खानापूर्ति करके चले गये जिससे साफ होता है। की जिला के अधिकारी जिला प्रशासन के निर्देशों का कितना पालन करते है।

नेशनल लोक अदालत 10 मई को

बालाघाट। जिले में शनिवार 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमे जिला न्यायालय बालाघाट में 08 खण्डपीठों का गठन किया गया है। वहीं सिविल न्यायालय बैहर के लिए 03 खण्डपीठ, सिविल न्यायालय कटंगी के लिए 01 खंडपीठ, सिविल न्यायालय लांजी के लिए 01 खंडपीठ तथा सिविल न्यायालय वारासिवनी के लिए 05 खंडपीठों का गठन किया गया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में चंदन नदी में किया श्रमदान

बालाघाट | राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान की सक्रियता निरंतर क्षेत्र में बनी हुई है। इसी कड़ी में जन अभियान परिषद विकासखंड वारासिवनी द्वारा गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सिकंदरा एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत समाज कार्य में स्नातक और स्नातकोत्तर के सामाजिक कार्यकर्ता छात्रों द्वारा सामूहिक श्रमदान कर जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश प्रसारित किया गया। जिसमे सिकंदरा मोक्षधाम में चंदन नदी के दोनों तट



की पॉलीथ्रीन और गाद निकालकर साफ-सफाई की गई और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए रैली निकाली गई। इस अवसर पर उपस्थित जनों से चर्चा करते हुए सुरेंद्र कुमार भगत (विकासखंड समन्वयक) ने कहा कि हमें आने

वाले समय के लिए जल के विभिन्न स्थानों जैसे कुआं बावड़ी तालाब आदि को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर सामूहिक सहभागिता और स्वेच्छिक भाव से प्रयास करना होगा हमें जल की महत्वता सभी ग्रामीण जनों के साथ आपस में चर्चा

संवाद कर साझा करना चाहिए। ऊ- होने कहा हमें अपने गांव में अपने घर में अपने परिवार में मोहल्ला में सभी समाज वर्गों के लोगों को जन जागरूकता कर जल है तो कल है और जल ही जीवन है इसके लिए जल संरक्षण करना सोछा गड्डे बनाना, जल स्रोतों की साफ सफाई करना, जल संरक्षण के लिए संरचना निर्माण करना, बोरी बंधान करना, पानी व्यर्थ ना बहे इसलिए जन जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए। इस दौरान सभी उपस्थित जनों को जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई गई।

आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर व्याख्यानमाला का हुआ आयोजन

अद्वैत दर्शन और वेदान्त के पुरोधा थे आदि गुरु शंकराचार्य

बालाघाट | राष्ट्रबाण

आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के अवसर पर मंत्र जन अभियान परिषद विकासखंड वारासिवनी द्वारा सोमवार को शासकीय शंकर साव महाविद्यालय वारासिवनी के व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक सुरेंद्र कुमार भगत ने कहा कि मंत्र जन अभियान

परिषद अपने प्रारंभ काल से ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ सभी महापुरुषों की जन्म जयंती के अवसर पर महापुरुषों को संपूर्ण समाज को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री शिवनारायण पटेल ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बारह वर्ष में ही संन्यास धारण कर अद्वैत दर्शन और सिद्धांत के लिए चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना कर चारों दिशा में रहने वाले समाज को जोड़ने का

काम किया है। ऊ- होने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत दर्शन और वेदान्त के पुरोधा थे। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सम्पूर्ण भारत वर्ष को एक समरसता के सूत्र में बांध कर समाज के सभी सम्प्रदाय को साथ लाकर जोड़ने का कार्य किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे संम्भाग समन्वयक जबलपुर श्री रवि बर्मन ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादाई है।

बालाघाट | राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृणाल मीना की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने जंगलों में लग रही आग पर निगरानी और काबू पाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मसलों पर संबंधित असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने समय पर फाइलों के प्रस्तुतिकरण के सम्बंध में सभी विभागों को ई-ऑफिस में ही फाइल संचालित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने रिकॉर्ड



अपडेशन की विभागवार जानकारी लेते हुए कलेक्टर श्री मीना ने राजस्व विभाग को शीघ्र अपडेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वारासिवनी एसडीएम से लालबर्ग और खैरलांजी में रिकॉर्ड अपडेशन की अपडेट स्थिति के बारे में जाना।

साथ ही निर्देशित किया कि अपडेशन में पेंडिंग न रखे, इसका निराकरण शीघ्रता से करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री मीना ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिन भी विभागों की पेंडेंसी 35 प्रतिशत के नीचे है उन्हें

नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिप सीईओ श्री अभिषेक सराफ, संयुक्त कलेक्टर श्री केशी ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर श्री राहुल नायक, श्री एमआर कौल, एसडीएम श्री गोपाल सोनी एवं सभी जिला अधिकारी मौजूद रहे।

नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग

जिला किसान कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन



जिला किसान कांग्रेस, नरवाई जलाने के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने ज्ञापन सौंपते हुए ।

बैतूल | राष्ट्रबाण

नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग को लेकर जिला किसान कांग्रेस, बैतूल द्वारा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कहा कि यह अत्यंत दुःख की बात है कि भाजपा सरकार लगातार भोले-भाले किसानों को अपराधी बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है।

रमेश गायकवाड़ ने कहा कि वर्तमान भाजपा शासनकाल में किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक ओर उन्हें फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते, दूसरी ओर नरवाई जलाने जैसी मजबूरी को अपराध बताकर उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान आज बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और खेती के साधनों के लिए जमीन तक बेचने को मजबूर हो गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण गेहूँ की कटाई हारवेस्टर से करनी पड़ती है, जिससे नरवाई खेतों में ही बच

जाती है। इस नरवाई को नष्ट करने के लिए सुपर सिडर, रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है जो 60 एचपी या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों से चलते हैं, जबकि 90 प्रतिशत किसानों के पास छोटे ट्रैक्टर हैं। ऐसे में बिना नरवाई जलए बोवनी संभव नहीं है।

किसान कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार को किसानों की चिंता होती तो पहले उन्हें प्रशिक्षण देती, नरवाई नष्ट करने के यंत्र उपलब्ध कराती। किसान समझदार है, उसे पर्यावरण के नुकसान का ज्ञान है, लेकिन जब साधन ही न हों तो सरकार से ही सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

रमेश गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को फसलों के वाजिब दाम, अनुदान, बोनस, सस्ती बिजली, खाद-बीज, शिक्षा व चिकित्सा मिलती थी। किसान आत्मनिर्भर था, लेकिन भाजपा सरकार में सब कुछ महंगा हुआ, किसानों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में किसानों की जमा पूंजी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब सम्मान

निधि बंद करने की धमकी देकर डराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से अधिक नुकसान उन्हें समर्थन मूल्य न मिलने से हो रहा है। यदि किसानों को सही दाम मिलें तो वे हर प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अनुदान के नाम पर घटिया और बाजार से महंगे उपकरण किसानों को दिए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से किसान कांग्रेस ने मांग की है कि नरवाई जलाने पर किसानों पर दर्ज एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए और सरकार सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मागे। अन्यथा किसान कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन को तैयारी करेगी।

ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमटी अध्यक्ष हेमंत वागदे, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सचिव अक्कू पटेल, सरपंच सोनू धुर्वे, उमराव धोटे, रमेश बरडे, परशराम दवडे, आनंदराव धोटे, बाबूराव गायकवाड़, संजू डोंगे, गुरा वामनकर, मुन्नालाल, डागा पवार, गणेश धोटे शामिल थे।

एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन 7 मई को

बालाघाट। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन 07 मई को किया जा रहा है। जिला व्यापार

एवं उद्योग केंद्र महाप्रबंधक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, द्वारा जारी नवीन नीतियों/ नियमों/ योजनाओं

तथा भारत सरकार की आरएमपी योजना का प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

लांजी और हट्टा बावड़ी का जल गंगा संवर्धन अभियान में होगा विशेष कार्य

जंगलों में आग लगाने पर संबंधितों पर होगी कड़ी कार्यवाही

जल गंगा संवर्धन में विभाग

तन्मयता से काम करेंगे

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने सम्बंधित विभागों से जल गंगा संवर्धन की अपडेट जानकारी ली गई। उन्होंने पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री उड्के से हैडपम्प की क्लर कोडिंग को लेकर जानकारी मांगी। पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री उड्के ने निर्देशित किया गया था। जिसमे बताया गया था कि नीले रंग वाले बट्टियां हैडपम्प, हरा भरपूर पानी, पीला कम पानी, रेड जल स्तर कम व पेयजल योग्य नहीं से पहचान की जाएगी। पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री उड्के ने बताया कि क्लर कोडिंग का कार्य पंचायत के साथ मिलकर किया जा रहा है।

पत्रकारों की अधिमान्यता पर सीधी कार्रवाई अब नहीं होगी संभव

एफआईआर के आधार पर अधिमान्यता रद्द करने से पहले सुनवाई अनिवार्य – जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

बैतूल / जबलपुर। राष्ट्रबाण

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी पत्रकार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने या आपराधिक प्रकरण लंबित होने मात्र से उसकी अधिमान्यता निरस्त नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने यह आदेश बैतूल के 60 वर्षीय निशान्त वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर दयाराम पंवार की याचिका पर सुनाते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिमान्यता

निरस्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने 15 अक्टूबर 2024 को स्पष्ट किया कि अधिमान्यता समाप्त करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत पत्रकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि जनसंपर्क विभाग का आदेश एक +नॉट-स्पीकिंग ऑर्डर+ था, जिसमें याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया।



महत्वपूर्ण तथ्य:

पत्रकार रामकिशोर पंवार की अधिमान्यता पुलिस अधीक्षक बैतूल और कलेक्टर बैतूल की अनुशंसा पर रद्द की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुशील तिवारी ने दलील दी कि यह आदेश नियमविरुद्ध और नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अदालत ने अतिरिक्त संचालक जनसंपर्क को नया कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।

फैसले का व्यापक प्रभाव

इस निर्णय के बाद अब मध्यप्रदेश में किसी भी पत्रकार की अधिमान्यता एफआईआर या आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर सीधे रद्द नहीं की जा सकेगी। पहले उसे नोटिस देकर, उसका पक्ष जानना आवश्यक होगा। यह फैसला प्रदेश के सभी पत्रकारों के लिए कानूनी सुरक्षा का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है।

समय सीमा पर हो समस्त कार्य

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

सिवनी। राष्ट्रबाण

कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सोमवार 05 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्ट्रेट टर श्री सी एल चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खणे डायत, एसडीएम सुश्री मेधा शर्मा सहित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। इसी तरह विभिन्न विभागों के खंडस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े थे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा में दर्ज प्रकरण, जनसुनवाई आवेदनों के निराकरण स्थिति, विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों में लंबित कार्यवाही के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने बिना अटेंड किये उच्च



शतप्रतिशत हो एडमिशन

कलेक्टर सुश्री जैन ने बैठक जनजातीय कार्यविभाग के अधिकारियों को विभागीय आश्रमों एवं छात्रावासों में शतप्रतिशत एडमिशन के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने ग्रामवार आवश्यकता वाले बच्चों

का चिन्हांकन एवं एडमिशन के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर सुश्री जैन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के ई-केवायसी की प्रगति की समीक्षा कर शेष रहे हितग्राहियों से संपर्क कर

श्रीघ्रातिशीघ्र ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं। इसी तरह समग्र ई-केवायसी में प्रगति लाने के निर्देश सभी सीईओ जनपद एवं सीएमओ को दिया गया है। कलेक्टर सुश्री जैन ने शासकीय विभागों में लागू

ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने ई-ऑफिस में सक्रीय हुए विभागों को विभागीय कार्यवाही ई-ऑफिस में निर्धारित मापदंड अनुसार ही संपादित करने के निर्देश दिये हैं।

लेबल पर पहुंची शिकायतों से संबंधित अधिकारियों का एक-एक दिवस का वेतन काटने के निर्देश

दिये हैं। साथ ही वन विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता से बंद कराई गई शिकायतों को लेकर कारण बताओ

नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने सी एवं डी रैकिंग वाले विभागों को अधिकतम

शिकायतों को संतुष्टी पूर्ण निराकरण कराते हुए श्रेणी सुधार के निर्देश दिये हैं।

विधायक प्रतिनिधि जगदीश आहुजा ने माना विधायक का आभार



सारनी। राष्ट्रबाण

आमला-सारनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉ. योगेश पंडग्रे के द्वारा जगदीश आहुजा को शासकीय महाविद्यालय बगडोना का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर क्षेत्र में हर्ष का वातावरण है

आहुजा ने विधायक डॉ. पंडग्रे के निज निवास बैतूल पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया एवं नियुक्ति हेतु उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया

यह नियुक्ति न केवल आहुजा के सामाजिक योगदान का सम्मान है, बल्कि यह क्षेत्र के शैक्षणिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है

जिला जेल में आयोजित हुआ विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक साक्षरता शिविर

सिवनी। राष्ट्रबाण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर एवं मध्य प्रदेशराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं श्रीमान सतीश चन्द्र राय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी एवं रवि नायक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी, की उपस्थिति में विगत दिवस जिला जेल सिवनी में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय सिवनी से आई डॉक्टरों की टीम द्वारा जेल के बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा दवाईयों वितरित की गई।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा नियुक्त लीगल एड डिफेंस कार्डसिल



अधिवक्तागण रिशद खान डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कार्डसिल, हीरालाल सनोडिया असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कार्डसिल, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा बंदियों के चल रहे प्रकरणों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिला चिकित्सालय सिवनी से डॉ. विनोद नावकर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सिवनी, डॉ.

ललित मर्सकोले चिकित्सा अधिकारी, डॉ. अरविंद खर्के दंत चिकित्सक, श्री प्रियेश रोकडे सर्जिकल विशेषज्ञ, डॉ. योगेश अग्रवाल नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ एवं अन्य तथा जिला जेल सिवनी से एच.एस. आर्मा, जेल अधीक्षक सिवनी, ए.एस. वर्मा, उपजेल अधीक्षक जिला जेल सिवनी, कैलाश नेवारे, सहायक जेल अधीक्षक जिला जेल सिवनी तथा जेल स्टॉफ उपस्थित रहे।

डॉक्टरों द्वारा कुल 255 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा इस स्वास्थ्य परीक्षण में कुल 255 बंदीगण लाभान्वित हुये। प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ-साथ जिला जेल सिवनी में विधिक सहायता शिविर का आयोजन भी किया गया।

आयोजित शिविर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी सतीश चन्द्र राय द्वारा उपस्थित सभी जेल बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुये बताया गया कि जेल में परिरुद्ध बंदियों को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है एवं बंदियों को भी निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार है। आयोजित लोक अदालतों एवं प्लीबारेनिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराया जाएगा।

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में आयोजित हुई प्री सिटिंग बैठक

सिवनी। राष्ट्रबाण

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश चन्द्र राय के निर्देशानुसार 10 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु 5 मई को जिला न्यायालय सिवनी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल में दोपहर 02 बजे से जिला न्यायालय सिवनी के न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण के साथ ही बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि नायक द्वारा द्वारा आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर

दुर्घटना दावा के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने हेतु उपस्थित बीमा कंपनी व पक्षकारों के अधिवक्तागण के साथ ही बीमा कंपनी के अधिकारीगणों के साथ चर्चा की गई। उक्त बैठक में अधिवक्तागणों द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों के सहमतिपूर्ण निराकरण हेतु आश्वासन प्रदान किया। बैठक में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी श्री बलवीर सिंह धाकड़, विक्रम सिंह डावर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, अमरीश भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, अंशुल ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण ठाकुर मंगलसिंह, योगेश मिश्रा, श्रीमती कुसुम गौतम, महेन्द्र चंदेल आदि उपस्थित रहे।

जनपद सीईओ का बयान – जिसे टेंडर नहीं मिला वो तो शिकायत

सामूहिक विवाह में निविदा शर्तों के खिलाफ

बैतूल। राष्ट्रबाण

जनपद पंचायत बैतूल में टेंडर को लेकर चल रहे विवाद ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब जनपद सीईओ ने यह कथन दिया कि जिसको टेंडर नहीं मिला, वह तो शिकायत करेगा। इस बयान को लेकर अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कोई भी शिकायत सिर्फ इसलिए खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि वह असंतुष्ट व्यक्ति ने की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के जिला संगठन मंत्री कन्हैयालाल चौकीकर ने बताया



कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है, वह पूरी तरह दस्तावेजों और प्रमाणों पर आधारित है। शिकायत में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान लगी टेंडर सामग्री में भारी अनियमितताओं और प्रक्रियात्मक चूक की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि निविदा के अनुसार सामग्री एक जैसी होनी थी, लेकिन मौके पर कहीं 10 फुट की छाया,

कहीं राउंड सीलिंग, तो कहीं डोम की फ्रेम पर कपड़ा लगाकर नेट बांधा गया था। कई जगह तिरपाल की जगह रंगीन नेट का उपयोग किया गया, जो निविदा की शर्तों के खिलाफ है।

कन्हैया चौकीकर का कहना है कि शिकायत के बावजूद सीईओ ने सामग्री की जांच जानबूझकर नहीं होने दी, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ सकी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास पूरे कार्यक्रम के वीडियो प्रमाण मौजूद हैं, जो उनकी शिकायत की पुष्टि करते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को शिकायत करने का संवैधानिक अधिकार है और यदि

शिकायत तथ्यों व प्रमाणों के साथ की गई हो, तो उसे मात्र असंतोष मानकर खारिज करना प्रशासनिक निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उनका कहना है कि यदि शिकायत निराधार होती, तो जांच में स्वतः खारिज हो जाती, लेकिन प्रमाणों के साथ की गई शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सवाल यह नहीं है कि शिकायत किसने की, सवाल यह है कि शिकायत में कितना सच है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।